क्रम-संख्या--463

रजि0 सं0 एल. डब्लू./एन. पी. 561

लाइसेन्स नं0 डब्लू0 पी0--41

लाइसेन्स टू पोस्ट एट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग--1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, बुद्धवार, 31 अगस्त, 1994

भाद्रपद 9, 1916 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग-1

संख्या 1336/सत्रह-वि-1-1 (क) 26-1994

लखनऊ, 31 अगस्त, 1994

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1994 पर दिनांक 30 अगस्त 1994 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 20 सन् 1994 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1994

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 20 सन् 1994)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के पैंतालीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :--

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1--(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1994 कहा जायगा।

(2) धारा 3, 7 और 8, 18 जून, 1994 को प्रवृत्त हुई समझी जायेंगी, धारा 2, 4, 5 और 6, 15 जुलाई, 1994 को प्रवृत्त हुई समझी जायेंगी और शेष धाराएं तुरन्त प्रवृत्त होंगी।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 29 सन् 1974 द्वारा यथा संशोधित और पुनः अधिनियमित राष्ट्रपति अधिनियम संख्या 10 सन् 1973 की धारा 2 का संशोधन

2--उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 2 में, खण्ड (5) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात्--

"(5-क) पद "नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों" का तात्पर्य वही होगा जैसा कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 में है;"

धारा 4 का संशोधन

3--मूल अधिनियम की धारा 4 में, उपधारा (1-क) में, खण्ड (ख) में, शब्द "फैजाबाद" में अवध विश्वविद्यालय के पश्चात् शब्द "जिसे 18 जून, 1994 से डाक्टर राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय, फैजाबाद कहा जायेगा" रख दिये जायेंगे।

धारा 6 का संशोधन

4--मूल अधिनियम की धारा 6 में, परन्तुक में, शब्द "अनुसूचित जातियों अथवा अनुसूचित जनजातियों" के स्थान पर शब्द "अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों या नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों" रख दिये जायेंगे।

धारा 12 का संशोधन

5--मूल अधिनियम की धारा 12 में, उपधारा (11) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारायें बढ़ा दी जायेंगी, अर्थात् :--

"(12) यदि कुलाधिपति की राय में कुलपति जानबूझकर इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित नहीं करता है या कार्यान्वित करने से इन्कार करता है या अपने में निहित शक्तियों का दुरुपयोग करता है या यदि कुलाधिपति को अन्यथा यह प्रतीत हो कि कुलपति का पद पर बना रहना विश्वविद्यालय के लिए अहितकर है तो कुलाधिपति, ऐसी जांच करने के पश्चात् जैसी वह उचित समझे, आदेश द्वारा, कुलपति को हटा सकते हैं।

(13) उपधारा (12) में निर्दिष्ट किसी जांच के विचाराधीन रहने के दौरान या ऐसी जांच को अनुध्यात रहते हुए, कुलाधिपति यह आदेश दे सकते हैं कि जब तक अग्रतर आदेश न दिया जाय,--

(क) ऐसा कुलपति, कुलपति के पद के कार्य संचालन से विरत रहेगा किन्तु उसे वह उपलब्धियां प्राप्त होती रहेंगी जिनके लिये वह अन्यथा उपधारा (8) के अधीन हकदार था;

(ख) कुलपति पद के कार्य का संचालन, आदेश में विनिर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा किया जायगा।"

धारा 28 का संशोधन

6--मूल अधिनियम की धारा 28 में, उपधारा (5) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारायें रख दी जायेंगी, अर्थात् :--

"(5) इस अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध में किसी बात के होते हुये भी,--

(क) किसी विश्वविद्यालय, संस्थान, घटक महाविद्यालय, सम्बद्ध महाविद्यालय या सहयुक्त महाविद्यालय में किसी पाठ्यक्रम में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों के छात्रों के लिये प्रवेश के लिये ऐसे आदेशों द्वारा स्थान आरक्षित और विनियमित किये जा सकेंगे, जिसे राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा उस निमित्त बनाये :

परन्तु इस खण्ड के अधीन आरक्षण किसी पाठ्यक्रम में स्थानों की कुल संख्या के पचास प्रतिशत से अधिक नहीं होगा :

परन्तु यह और कि इस खण्ड के अधीन आरक्षण संविधान के अनुच्छेद 30 के खण्ड (1) में निर्दिष्ट अल्पसंख्यक वर्गों द्वारा स्थापित और प्रशासित किसी संस्था के मामले में लागू नहीं होगा :

परन्तु यह भी कि इस खण्ड के अधीन आरक्षण उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 की अनुसूची दो में विनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों की श्रेणी पर लागू नहीं होगा :

(ख) मेडिकल और इंजीनियरिंग महाविद्यालयों में, और शिक्षण या आयुर्वेदिक और यूनानी चिकित्सा प्रणाली में उपाधियों के लिये शिक्षण पाठ्यक्रमों में प्रवेश (जिसके अन्तर्गत प्रविष्ट किये जाने वाले छात्रों की संख्या भी है) ऐसे आदेशों द्वारा (जिसे आवश्यक होने पर भूतलक्षी प्रभाव भी दिया जा सकेगा किन्तु जो 1 जनवरी, 1979 के पूर्व से प्रभावी नहीं होगा) विनियमित होगा जिसे राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा, उस निमित्त बनाये :

परन्तु इस खण्ड के अधीन प्रवेश के विनियमन का कोई आदेश अल्पसंख्यक वर्गों के, अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन के अधिकार से असंगत न होगा;

(ग) खण्ड (क) के अधीन कोई आदेश बनाने में राज्य सरकार निदेश दे सकती है कि कोई व्यक्ति जो इस आदेश का उल्लंघन करने या उसके प्रयोजनों को विफल करने के आशय से कोई कार्य करता है तो वह तीन मास से अनधिक की अवधि के लिये कारावास से या एक हजार रुपये से अनधिक के जुर्माने से या दोनों से, जैसा आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय, दण्डनीय होगा ।

(5-क) उपधारा (5) के खण्ड (क) के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश यथाशीघ्र राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जायगा और उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 की धारा 23-क की उपधारा (1) के उपबन्ध उसी प्रकार प्रवृत्त होंगे जैसा कि वे किसी उत्तर प्रदेश अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाये गये नियमों के संबंध में प्रवृत्त होते हैं।"

नई धारा 72-ख का बढ़ाया जाना

7--मूल अधिनियम की धारा 72-ग के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात् :--

"72-घ--18 जून, 1994 से इस अधिनियम या किसी नियम, परिनियम, अध्यादेश, अवध विश्वविद्यालय के नाम में परिवर्तन पर संक्रमणकालीन उपबन्ध परिनियत संलेख या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में या किसी दस्तावेज या कार्यवाहियों में अवध विश्वविद्यालय के प्रति किसी निर्देश को डाक्टर राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय, फैजाबाद के प्रति निर्देश समझा जायगा ।"

अनुसूची का संशोधन

8--मूल अधिनियम की अनुसूची में, क्रम-संख्या 10 के सामने स्तम्भ-2 में शब्द "अवध विश्वविद्यालय" के स्थान पर शब्द "डाक्टर राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय, फैजाबाद" रख दिये जायेंगे ।

निरसन और अपवाद

9--(1) उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1994 और उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (तृतीय संशोधन) अध्यादेश, 1994 एतद्द्वारा निरसित किये जाते हैं ।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेशों द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी, मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे ।

आज्ञा से,
नरेन्द्र कुमार नारंग,
सचिव ।

No. 1336(2)/XVII-V-1—1 (KA) 26/1994

Doted Lucknow, August 31, 1994

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Rajya Vishwvidyalaya (Dwatiya Sanshodhan) Adhiniyam 1994 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 20 of 1994) as pasced by the Uttar Pradesh Legislature and a ssented by the Governor on August 30, 1994.

THE UTTAR PRADESH STATE UNIVERSITIES (SECOND AMENDMENT) ACT, 1994

(U.P. ACT NO. 20 OF 1994)

(As passed by the U. P. Legislature)

AN

ACT

further to amend the Uttar Pradesh State Universities Act, 1973

IT IS HEREBY enacted in the Forty-fifth Year of the Republic of India as follows :—

Short title and commencement

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh State Universities (Second Amendment) Act, 1994.

(2) Sections 3, 7 and 8 shall be deemed to have come into force on June 18, 1994, sections 2, 4, 5 and 6 shall be deemed to have come into force on July 15, 1994 and the remaining sections shall come into force at once.

Amendment of section 2 of the Presidents Act no. 10 of 1973 as amended and re-enacted by U.P. Act no. 29 of 1974

2. In section 2 of the Uttar Pradesh State Universities Act, 1973, hereinafter referred to as the principal Act, *after* clause (5) the following clause shall be *inserted*, namely :—

"(5-A) the expression "other backward classes of citizens" shall have the same meaning as in the Uttar Pradesh Public Services (Reservation for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other Backward Classes) Act, 1994.

Amendment of section 4

3. In section 4 of the principal Act, in sub-section (1-*A*), in clause (*b*), *after* the words "at Faizabad" the words "which shall with effect from June 18, 1994 be called the Doctor Ram Manohar Lohia University, Faizabad" shall be *substituted.*

Amendment of section 6

4. In section 6 of the principal Act, in the proviso, *for* the words "the Scheduled Castes or Scheduled Tribes", the words "the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes or other backward classes of citizens" shall be *substituted.*

Amendment of section 12

5. In section 12 of the principal Act, *after* sub-section (11), the following sub-sections shall be *inserted*, namely :—

"(12) If in the opinion of the Chancellor, the Vice-Chancellor wilfully omits or refuses to carry out the provisions of this Act or abuses the powers vested in him, or if it otherwise appears to the Chancellor that the continuance of the Vice-Chancellor in office is detrimental to the interest of the University, the Chancellor may, after making such inquiry as he deems proper, by order, remove the Vice-Chancellor.

(13) During the pendency or in contemplation, of any inquiry referred to in sub-section (12) the Chancellor may order that till further orders—

(*a*) such Vice-Chancellor shall refrain from performing the functions of the office of Vice-Chancellor, but shall continue to get the emoluments to which he was otherwise entitled under sub-section (8);

(*b*) the functions of the office of the Vice-Chancellor shall be performed by the person specified in the order."

Amendment of section 28

6. In section 28 of the principal Act, *for* sub-section (5) the following sub-sections shall be *substituted*, namely :—

"(5) Notwithstanding anything contained in any other provision of of this Act,—

(*a*) reservation of seats for admission in any course of study in University, Institute, constituent college, affiliated college or associated college for the students belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other backward classes of citizens may be made and regulated by such orders as the State Government may, by notification, make in that behalf :

Provided that reservation under this clause shall not exceed fifty per cent of the total number of seats in any course of study :

Provided further that reservation under this clause shall not apply in the case of an institution established and administered by minorities referred to in clause (1) of Article 30 of the Constitution:

Provided also that the reservation under this clause shall not apply to the category of other backward classes of citizens specified in Schedule II to the Uttar Pradesh Public Services (Reservation for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classses) Act, 1994,—

(*b*) admission to medical and engineering colleges and to courses of instruction for degrees in education and Ayurvedic or Unani systems of medicine (including the number of students to be admitted), shall subject to clause (*a*), be regulated by such orders (which if necessary may be with retrospective effect, but not effective prior to January 1, 1979) as the State Government may by notification, make in that behalf:

Provided that no order regulating admission under this clause shall be inconsistent with the rights of minorities in the matter of establishing and administering educational institutions of their choice;

(*c*) in making an order under clause (*a*), the State Government may direct that any person who wilfully acts in a manner intended to contravene, or defeat the purposes of the order shall be punishable with imprisonment for a term not exceeding three months or with fine not exceeding one thousand rupees, or with both, as may be specified in the order.

(5-A) Every order made under clause (*a*) of sub-section (5) shall be laid, as soon as may be, before both Houses of the State Legislature and the provisions of sub-section(1)of section 23-A of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 shall apply as they apply in respect of rules made by the State Government under any Uttar Pradesh Act."

Insertion of new section 72-D

7. *After* section 72-C of the principal Act, the following section shall be *substituted*, namely :—

Transitory provisions on the change of name of the University of Avadh

"72-D. With effect from June 18, 1994 any reference to the University of Awadh in this Act or any rules, statutes, Ordinances, statutory instruments or any other law for the time being in force or in any document or proceedings shall be construed as a reference to the Doctor Ram Manohar Lohia University, Faizabad."

Amendment of the Schedule

8. In the Schedule to the principal Act, in Column 2, against serial no 10, *for* the words "the University of Avadh", the words "Doctor Ram Manohar Lohia University, Faizabad" shall be *substituted*.

U. P. Ordinance no. 10 of 1994 and U.P. Ordinance no. 12 of 1994

Repeal and Savings

9. (1) The Uttar Pradesh State Universities (Second Amendment) Ordinance, 1994 and the Uttar Pradesh State Universities (Third Amendment) Ordinance, 1994 are hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the principal Act as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1) shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act, as amended by this Act, as if the provisions of this Act were in force at all material times.

By order,
N. K. NARANG,
Sachiv.

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 150 सा० (विधा०)-(1472)--1994--850 (मेक०)।